न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –11/2018 जिला दौसा

हीरा लाल पुत्र मूलचन्द, जाति रैगर, निवासी ग्रम सलेमपुरा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 11.10.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 19.6.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 11.10.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम सलेमपुरा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार हीरा लाल पुत्र मूचन्द जाति रैगर निवासी सलेमपुरा था । खातेदार हीरा लाल रैगर ने जरिये उक्त भूमि में से 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये 50/– के इकरारनामा दिनांक 19.6.2000 से जगन्नाथ पुत्र भौंरी लाल व हरसहाय पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण को किया गया । अनुसूचित जाति के व्यक्ति विक्रेता द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति क्रेताओं को विवादित भूमि का विक्रय जरिये इकरारनामा अवैध होने से तहसीलदार लालसोट द्वारा एक वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा में से रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजकीय सिवायच घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया । उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने उक्त वाद में निर्णय दिनांक 12.12.12 पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा में से अवैधानिक बेचानशुदा रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि को सिवायचक घोषित किया गया, जिसकी अनुपालना में विवादित भूमि रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज हो गई । उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 12.12.12 से व्यथित होकर विवादित भूमि के खातेदार हीरा लाल पुत्र मूलचन्द रैगर द्वारा अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की, जो राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.6.2014 द्वारा दिनांक 20.3.12 को जगन्नाथ के फौत होने का तथ्य सामने आने के बावजूद उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लाने की कोई कार्यवाही नही की जाकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया जाना विधि प्रक्रिया के अनुरूप नहीं मानते हुये आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.12 एतद्द्वारा

निरस्त किये गये तथा प्रकरण विचारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्ष व मृतक के विधिक वारिसान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की जावे ।

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.6.2014 द्वारा उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 12.12.12 जिसके द्वारा विवादित भूमि को सिवाय चक घोषित किया था, को निरस्त किये जाने से राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 560 सिवायचक से खातेदार विक्रेता हीरा लाल पुत्र मूल्या रैगर के नाम भरा गया, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.7.15 को अस्वीकृत कर दिया गया । उक्त नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा अस्वीकृत किये जाने से व्यथित होकर उसके खिलाफ विवादित भूमि के खातेदार हीरा लाल पुत्र मूलचन्द द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 16.5.2017 द्वारा प्रकरण में अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना किया जाना अपेक्षित मानते हुये नामांतरकरण संख्या 560 वाके ग्रम सलेमपुरा में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.7.15 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावे । यदि राज्यहित प्रभावित होता है तो राज्यहित में विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 16.5.17 से प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2017 पारित कर खातेदार हीरा लाल रैगर द्वारा हरसहाय पुत्र जगन्नाथ व जगन्नाथ पुत्र भोरी लाल ब्राह्मण से अपनी भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर लेने से वह पुनः भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इसमें राज्य सरकार का हक प्रभावित होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया एवं राज्यहित में इसकी सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने के आदेश दिये हैं ।

तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त निर्णय दिनांक 11.10..2017 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 16.5.17 से तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड कर अपीलेट न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2017 पारित कर अपीलेट न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं की, जिससे अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय व डिक्री के खिलाफ अपीलान्ट की अपील राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय द्वारा उप खण्ड अधिकारी लालसोट का निर्णय व डिक्री खारिज की जाकर प्रकरण उन्हें रिमाण्ड किया था । इस पर अपीलार्थी के धारा 144 सी.पी.सी.के प्रार्थना पत्र पर आदेश होने पर तहसीलदार का यह कर्तव्य था कि उप खण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति कायम की जाये, किन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलेट न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं कर नामांतरकरण 560

अस्वीकृत करने में विधिक त्रुटि की है । विधि का यह सिद्धान्त है कि अपीलीय न्यायायल के निर्णय की पालना अधीनस्थ न्यायालय को करनी चाहिये, किन्तु तहसीलदार ने ऐसा नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 11.10.2017 निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को भूमि का विक्रय जरिये इकरारनामा होने से उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय से विवादित भूमि को सिवाचक दर्ज करने के आदेश दिये थे, जिसके खिलाफ अपील में राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय से उप खण्ड अधिकारी का निर्णय निरस्त कर प्रकरण उप खण्ड अधिकारी को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया है । ऐसी स्थिति में वाद उप खण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है जिसमें ही अपीलान्ट के हकों का निर्धारण होना है । तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश से प्रकरण मे राज्य हक प्रभावित होना मानते हुये प्रकरण निरस्त किया है तथा राज्यहित में इसकी सक्षम न्यायालय में अपील होने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्व प्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं इसके विरोध मे कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं होने के कारण मियाद के संबंध में लचिला रूख अपनाकर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में खातेदार विक्रेता हीरा लाल रैगर जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है ,ने अपनी भूमि में से 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये 50/– के इकरारनामा दिनांक 19.6.2000 से जगन्नाथ पुत्र भैरूं लाल व हरसहाय पुत्र जगन्ना जाति ब्राह्मण सवर्ण जाति के व्यक्तियों को किया गया । अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्तियों को विवादित भूमि का विक्रय जरिये इकरारनामा अवैध होने से तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत वाद में उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने निर्णय दिनांक 12.12.12 पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा में से अवैधानिक बेचानशुदा रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि को सिवायचक घोषित किया गया, जिसकी अनुपालना में विवादित भूमि रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज हो गई । उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 12.12.12 के खिलाफ हीरा लाल पुत्र मूलचन्द रैगर की अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प लालसोट ने निर्णय दिनांक 11.6.2014 द्वारा दिनांक 20.3.12 को जगन्नाथ के फौत होने का तथ्य सामने आने के बावजूद उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लाने की कोई कार्यवाही नही की जाकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया जाना विधि प्रकिया के अनुरूप नहीं मानते हुये आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.12 एतद्द्वारा निरस्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्ष व मृतक के विधिक वारिसान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की जावे ।

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 560 सिवायचक से खातेदार विक्रेता हीरा लाल पुत्र मूल्या रैगर के

नाम भरा गया जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.7.15 को अस्वीकृत कर दिया , जिसके खिलाफ हीरा लाल पुत्र मूलचन्द की अपील में न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 16.5.2017 द्वारा प्रकरण में अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना किया जाना अपेक्षित मानते हुये नामांतरकरण संख्या 560 वाके ग्रम सलेमपुरा में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.7.15 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावे , जिसकी अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2017 पारित कर खातेदार हीरा लाल रैगर ने हरसहाय पुत्र जगन्नाथ व जगन्नाथ पुत्र भोरी लाल ब्राह्मण से अपनी भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर लेने से वह पुनः भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इसमें राज्य सरकार का हक प्रभावित होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया एवं राज्यहित में इसकी सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में अनुसूचित जाति के खातेदार विक्रेता द्वारा भूमि का विक्रेय सवर्ण जाति के व्यक्तियों को जरिये इकरारनामा किया गया है, जो विधिक नहीं है । उक्त विक्रय के खिलाफ तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वाद में उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 12.12.12 से विवादित भूमि सिवायचक घोषित होकर राजस्व अभिलेख में सिवायचक अभिलिखित हो गई । चूंकि उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 12.12.12 को विक्रेता हीरालाल की अपील में राजस्व अपील अधिकारी ने निर्णय दिनांक 11.6.2014 से उप खण्ड अधिकारी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया जाना विधि प्रकिया के अनुरूप नहीं मानते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.12 एतद्द्वारा निरस्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट को उभयपक्ष व मृतक के विधिक वारिसान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष विचाराधीन है ,जिसमें ही अपीलान्ट के अधिकारों का निर्धारण होना है ।

पटवारी हल्का द्वारा सिवायचक से खातेदार विक्रेता हीरा लाल पुत्र मूल्या रैगर के नाम भरे नामांतरकरण संख्या 560 को तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.7.15 को अस्वीकृत किये जाने के खिलाफ खातेदार विक्रेता हीरा लाल पुत्र मूलचन्द की अपील में न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने आदेश दिनांक 16.5.2017 से प्रकरण में अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना किया जाना अपेक्षित मानते हुये नामांतरकरण संख्या 560 वाके ग्रम सलेमपुरा में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.7.15 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने पर तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2017 से खातेदार हीरा लाल रैगर ने हरसहाय पुत्र जगन्नाथ व जगन्नाथ पुत्र भोरी लाल ब्राह्मण से अपनी भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर लेने से वह पुनः भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इसमें राज्य सरकार का हक प्रभावित होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया एवं राज्यहित में इसकी सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने के आदेश दिये हैं । हम समझते हैं कि प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपीलान्ट द्वारा प्रतिफल लेकर सवर्ण जाति के व्यक्तियों को भूमि का विक्रय अवैध होने से विवादित भूमि

सिवायचक घोषित होकर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो चुकी है जिसे पुनः विक्रेता अपीलान्ट के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया जाना विधिसम्यक नहीं है । प्रकरण में राज्यहित प्रभावित्त होने के कारण राज्यहित में इसकी सक्षम न्यायालय में अपील होना न्यायिक रूप से आवश्यक प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 11.10.2017 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 19.6.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा सभरवाल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर